(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 208 / 2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 472

1. प्रेमप्रताप पुत्र मानसिंह जाति मेघवाल निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.................वादीग

बनाम

1. सुभाष पुत्र चन्दगी जाति धानक निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत– घोषणामक खातेदारी

–:निर्णयः– दिनांकः– 3/1/25

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 133 के ख0 न0 221 रकबा 0.50 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज रिकार्ड हैं।
2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 04.08.2023 को जरिये विक्रय पत्र के 0.50 हैक्टर भूमि का बेचान नामान्तरण वादी के नाम से ही दर्ज हैं। वादी ने अपनी विक्रय शुद्वा भूमि का नामान्तरण दिनांक 05.10.2023 को नामान्तरण संख्या 512 के तहत दर्ज कर दिया गया था उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरण भी जमाबन्दी में दर्ज हो गया था लेकिन दिनांक 29 / 02 / 2024 को नामान्तरण संख्या 512 को पुनः विलोपन कर दिया गया।
3. यह कि वादी अपनी भूमि की नकल लेने के लिए गत सप्ताह पटवारी हल्का से मिला तो उसे पता चला कि उक्त भूमि का नामान्तरण तो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज हैं। इसलिए वादी को अपनी क्रयशुदा भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में करवाने के लिए दावा घोषणात्मक खातेदारी का पेश करना आवश्यक हुआ।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि में अगर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज रही तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को जब तक वाद पत्र का अन्तिम निपटारा ना हो तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे व प्रतिवादी संख्या 2 को भी पाबन्द किया जावे कि व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पेश किये गये किसी भी दस्तावेज को तस्दीक ना करे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 208/2024 **जीसीएमएस नम्बर :– 2024/472**

प्रेमप्रताप बनाम सुभाष आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री विकास कुमार एडवोकेट** की उपस्थिति में व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजित कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 221 रकबा 0.50 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी को खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 3/1/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)